

# आतंकवाद की समस्या एवं समाधान - भारत के विशेष संदर्भ में

डॉ. दीप कुमार श्रीवास्तव

एसोसिएट प्रोफेसर, रक्षा अध्ययन विभाग, एस. एम. कॉलेज, चंदौसी, संभल

## ABSTRACT

आज के समय में देश विदेश की सबसे बड़ी समस्या के बारे में अगर पुछा जाये, तो बच्चा बच्चा भी यही बोलेगा आतंकवाद. आतंकवाद ने हमारे देश समाज को इस तरह जकड रखा है कि लाख कोशिशों के बाद भी ये जड़ से अलग नहीं हो रहा है. जितना हम इसे दबाते है, उतना ही विकराल रूप लेकर ये सामने आ जाता है. आतंकवाद को कैसे परिभाषित करें, यही समझ नहीं आता, क्योंकि हर कोई इसे अपने ढंग से समझता है. भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई के समय अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकवादी समझते है, जबकि वे तो अपने हक के लिए लड़ रहे है. कई बार हक की लड़ाई लड़ने वाला उग्र हो जाता है, उसे सामने वाला आतंकवादी समझ लेता है. हर हिंसा करने वाला आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर अहिंसावादी आतंकवादी न हो ये भी जरूरी नहीं है. आतंकवाद गैर कानूनी कार्य है, जिसका मकसद आम लोगों के अंदर हिंसा का डर पैदा करना है. आतंकवाद एक शब्द मात्र नहीं है, यह मानव जाति के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है, जिसे मानव ने खुद निर्मित किया है. कोई भी एक इन्सान या समूह मिलकर यदि किसी जगह हिंसा फैलाये, दंगे फसाद, चोरी, बलात्कार, अपहरण, लड़ाई-झगड़ा, बम ब्लास्ट करता है, तो ये सब आतंकवाद है. भारत में नक्सलवादीयों के रूप में पहली बार आतंकवाद को देखा गया था. 1967 में पहली बार बंगाल के क्षेत्र में कुछ लोग उग्र हो गए थे, अपनी बात मनवाने के लिए वे नक्सलवादी बनकर सामने आये थे.

**How to cite this paper:** Dr. Deep Kumar Srivastava "Terrorism Problems and Solutions - With Special Reference to India" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-6 | Issue-4, June 2022, pp.1312-1320, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd50308.pdf



IJTSRD50308

Copyright © 2022 by author(s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)



## आतंकवाद की परिभाषा

दो कारण हैं जो 'आतंकवाद' शब्द की एक व्यापक परिभाषा की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं-

1. आतंकवाद की समस्या को समझना।
2. देश के भीतर आतंकवाद से निपटने और विदेशों से आतंकवादियों के प्रत्यर्पण के लिये विशेष कानून बनाना।

आतंकवाद को वैश्विक घटना मानने के बावजूद आतंकवाद की अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत परिभाषा देने के लिये पूर्व में किये प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए हैं।

ऐसा मुख्यतः दो कारणों से है। पहला, किसी एक देश में 'आतंकवादी' को दूसरे देश में 'स्वतंत्रता सेनानी' के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा, यह विदित है कि कुछ राष्ट्र स्वयं अपनी एजेंसियों अथवा किराये पर लिये गए एजेंटों के माध्यम से कानूनी रूप से स्थापित अन्य देशों की सरकार को पलटने अथवा अस्थिर करने या अन्य राष्ट्र के महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अथवा सरकारी व्यक्तियों की हत्या कराने के लिये गुप्त रूप से विभिन्न किस्म के आपराधिक कार्यों का सहारा लेते हैं अथवा उन्हें प्रोत्साहित करते हैं।

## परिचय

देश में आतंकवादी हिंसा की बढ़ती घटनाओं के दृष्टिगत भारत में उभरती हुई एक सर्वसम्मति है कि आतंकवाद से निपटने के लिये एक सुदृढ़ विधायी ढाँचा सृजित किया जाना चाहिये। यहाँ तक कि मानवाधिकारों और संवैधानिक मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए

भी आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षा बलों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आज आतंकवाद सार्वजनिक व्यवस्था के मुद्दों से बढ़कर हो गया है क्योंकि यह संगठित अपराध, गैर-कानूनी वित्तीय अंतरणों और शस्त्र तथा मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार के जैसे कृत्यों के साथ समायोजित हो गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा हैं। भारत जैसा बहु-सांस्कृतिक, उदार और प्रजातांत्रिक देश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण आतंकवादी कृत्यों के प्रति अत्यंत सुभेद्य है।[1]

## आतंकवाद: प्रकार, उत्पत्ति

- 'आतंकवाद' शब्द की उत्पत्ति फ्राँसीसी क्रांति के दौरान वर्ष 1793-94 के आतंक के शासन से हुई।
- यूरोप और अन्यत्र भी विशेषकर 1950 के दशक के उत्तरार्द्ध में वामपंथी उग्रवाद उभर कर सामने आया। भारत में नक्सली और माओवादी सहित पश्चिम जर्मनी में रेड आर्मी गुट, जापान का रेड आर्मी गुट, संयुक्त राज्य अमेरिका में विदरमेन और ब्लैक पैन्थर्स, उरुग्वे के तूपामारोस और अन्य कई वाम पंथी उग्रवादी दल विश्व के भिन्न-भिन्न भागों में 1960 के दशक के दौरान उत्पन्न हुए।
- आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद अधिकांशतः इस्लामी रूढ़िवाद की विचारधारा से प्रेरित है तथा इसकी अग्र पंक्ति में ओसामा बिन लादेन का अल-कायदा और इसके घनिष्ठ सहयोगी अफगानिस्तान में तालिबान हैं। सोवियत-विरोधी

नीतियों के कारण तालिबानों की तेज़ वृद्धि संयुक्त राज्य अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की ISI द्वारा दिये गए व्यापक संरक्षण के कारण संभव हुई थी। इससे न केवल अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान और भारत में भी सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हो चुकी हैं।

### आतंकवाद की समस्या के कुछ मुख्य कारण (Cause of Terrorism Problem in hindi)-

- बन्दूक, मशीन गन, तोपें, एटम बम, हाईड्रोजन बम, परमाणु हथियार, मिसाइल आदि का अधिक मात्रा में निर्माण होना।
- आबादी का तेजी से बढ़ना
- राजनैतिक, सामाजिक, अर्थव्यवस्था
- देश की व्यवस्था के प्रति असंतुष्ट
- शिक्षा की कमी
- गलत संगति
- बहकावे में आना

आतंकवाद के इसके अलावा बहुत से कारण हो सकते हैं। आजकल अपनी बात को मनवाने व सही साबित करने के लिए आतंकवाद को ही पहला हथियार बनाया जाता है। आतंकवादी के अंदर समाज, देश के प्रति विद्रोह, असंतोष होता है। भ्रष्टाचार, जातिवाद, आर्थिक विषमता, भाषा का मतभेद ये सब आतंकवाद के मूल तत्व हैं, इन्हीं के बाद आतंकवाद पनपता है। हिन्दू-मुसलमान जाति के बीच के दंगे सबसे प्रसिद्ध हैं, ऐसी और जाति के बीच मतभेद होने से आतंकवाद आता है। गुजरात में हुआ गोधरा कांड, खालिस्तान की मांग आदि सब क्षेत्रवाद के चलते हुए दंगे हैं। जैसे कमाने की जल्दी में भी लोग आतंकवाद का हाथ थाम लेते हैं और गलत काम करके रातों रात अमीर बन जाते हैं।

### आतंकवाद का असर/ दुष्परिणाम (Effect of Terrorism)-

आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य सामाजिक व राजनैतिक सिस्टम को आहत पहुंचाना है। आतंकवाद का असर सबसे ज्यादा आम जनता को होता है। आतंकवादी समूह देश की सरकार को बताने के लिए ये सब करते हैं, लेकिन जिस पर वे ये जुल्म ढाते हैं, वे उन्हीं के भाई बहन होते हैं, मासूम होते हैं, जिनका सरकार, आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं होता है। एक बार ऐसा कुछ देखने के बाद इन्सान के मन में जीवनभर के लिए डर पैदा हो जाता है, वो घर से निकलने तक में हिचकता है। माँ को डर लगा रहता है, उसका बच्चा घर वापस आएगा की नहीं।

- आतंकवाद से लोगों में डर पैदा हो जाता है, वे अपने राज्य, देश में असुरक्षित महसूस करते हैं।
- आतंकवाद के सामने कई बार सरकार भी कमजोर दिखाई देती है, जिससे लोगों का सरकार पर से भरोसा उठते जा रहा है।
- आतंकवाद को मुद्दा बनाकर किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है
- आतंकवाद के चलते लाखों की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है, हजारों लाखों मासूमों की जान चली जाती है।
- जीव-जंतु भी मारे जाते हैं।
- मानवजाति का एक दुसरे से भरोसा उठ जाता है।
- एक आतंकवादी गतिविधि देखने के बाद दूसरा आतंकवादी भी पैदा होने लगता है।

### देश-विदेश के विभिन्न क्षेत्र में आतंकवाद के रूप -

आज आतंकवाद सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है, हमारे पड़ोसी देश, और विदेश सभी जगह की सरकारें इससे निपटने के लिए भरपूर कोशिश में लगी हुई हैं। विश्व का आजतक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का माना जाता है। 11 सितम्बर 2001 में, विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे ऊँची ईमारत पर ओसामा बिन लादेन ने आतंकवादी हमला करवाया था, जिसके चलते लाखों का नुकसान हुआ और हजारों-लाखों लोग मलबे के नीचे दब के मर गए थे। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को बड़े फिल्मी तरीके से मारा था। अमेरिका वालों ने ओसामा को मारने के लिए एक ऑपरेशन किया था, उसने उसके घर पाकिस्तान में घुस कर उसे मार डाला था, और ये सब रिकॉर्ड हो रहा था, जिसे अमेरिका की सरकार लाइव बैठ कर देख रही थी। [2] 2015 में पाकिस्तान में करांची के स्कूल में कुछ आतंकवादी घुस गए थे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिससे कई बच्चे टीचर मारे गए थे। कहते हैं, पाकिस्तान का आतंकवाद में सबसे बड़ा हाथ है, लेकिन खुद पाकिस्तान इसके दुष्प्रभाव से अछुता नहीं है।

### भारत में स्थिति

- आतंकवादी और विघटनकारी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 अर्थात् टाडा भारत में ऐसा पहला विशेष कानून था जिसने आतंकवाद की परिभाषा देने का प्रयास किया था। इसके बाद आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (पोटा) आया। वर्ष 2004 में गैर-कानूनी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को 'आतंकवादी गतिविधि' की परिभाषा शामिल करने के लिये संशोधित किया गया था।
- आतंकवादी और विघटनकारी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 उल्लेख करता है कि 'जो कोई भी कानून द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने अथवा लोगों या लोगों के किसी वर्ग में आतंक फैलाने अथवा उन्हें मारने या विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्द को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के आशय से बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ अथवा ज्वलनशील पदार्थ या घातक हथियारों अथवा ज़हर या हानिकारक गैसों अथवा अन्य रसायनों या खतरनाक प्रकृति के अन्य किसी पदार्थ (जैविक या अन्य) का इस तरीके से प्रयोग करते हुए कोई कार्य करता है, जिससे व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु हो अथवा उन्हें चोट पहुँचे अथवा संपत्ति की हानि या विनाश हो अथवा समुदाय के जीवन के लिये अनिवार्य आपूर्तियों अथवा सेवाओं में बाधा पहुँचे अथवा किसी व्यक्ति को रोके या सरकार अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने से अलग रहने के लिये बाध्य करने हेतु लोगों को मारने या घायल करने की धमकी देता है, वह अपनी प्रकृति में एक आतंकवादी कार्य करता है।'
- पोटा अधिनियम आतंकवादी कृत्य की परिभाषा का विस्तार करते हुए आतंकवादी कार्य में आतंकवाद हेतु वित्त जुटाने अर्थात् आतंकवाद के वित्तीयन को भी शामिल करता है। पोटा की तरह ही वर्ष 2004 में संशोधित गैर-कानूनी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 भी 'आतंकवादी कार्य' की व्यापक परिभाषा देता है।

➤ इन भारतीय अधिनियमों में आतंकवाद की परिभाषा पर दृष्टिपात करने से यह तथ्य उभर कर आता है कि कुछ देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के कानून आतंकवादी कार्य के पीछे कोई राजनीतिक, धार्मिक अथवा वैचारिक उद्देश्यों का वर्णन करते हैं, वहीं भारतीय कानून आतंकवादी कार्य को परिभाषित अथवा वर्णित करने के लिये ऐसे किसी उद्देश्य अथवा प्रयोजन को शामिल करने से बचते हैं।[3]

## विचार-विमर्श

### आतंकवाद के प्रकार

आतंकवादी समूह/समूहों के उद्देश्यों के आधार पर आतंकवादी गतिविधियों के मुख्य प्रकारों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है-

#### 1. मानवजातीय-राष्ट्रवादी आतंकवाद (Ethno-Nationalist Terrorism)

डेनियल बाइमैन के अनुसार अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये किसी उप-राष्ट्रीय मानवजातीय समूह द्वारा जान बूझकर की गई हिंसा को मानवजातीय आतंकवाद कहा जा सकता है। ऐसी हिंसा प्रायः या तो पृथक राज्य के सृजन अथवा एक मानवजातीय समूह द्वारा दूसरे समूहों की तुलना में अपने स्तर को बढ़ाने के लिये किया जाता है। श्रीलंका में तमिल राष्ट्रवादी समूह और पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी समूह मानवजातीय-राष्ट्रवादी आतंकवादी गतिविधियों के उदाहरण हैं।

#### 2. धार्मिक आतंकवाद (Religious Terrorism)

वर्तमान में अधिकांशतः आतंकवादी गतिविधियाँ धार्मिक आदेशों और आवश्यकताओं द्वारा अभिप्रेरित होती हैं। हॉफमैन के अनुसार पूर्णतः अथवा अंशतः धार्मिक आदेशों द्वारा प्रेरित आतंकवादी हिंसा को दैवीय कर्तव्य अथवा पवित्र कृत्य मानते हैं।

अन्य आतंकवादी समूहों की तुलना में धार्मिक आतंकवादी वैधता और औचित्य के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं जो धार्मिक आतंकवाद को प्रकृति में और अधिक विनाशकारी बना देता है।

#### 3. विचारधारोन्मुख आतंकवाद (Ideology Oriented Terrorism)

हिंसा और आतंकवाद में विचारधारा के उपयोग के आधार पर आतंकवाद को साधारणतया दो वर्गों-वामपंथी और दक्षिणपंथी आतंकवाद में वर्गीकृत किया जाता है।

वामपंथी आतंकवाद- अधिकांशतः वामपंथी विचारधाराओं से प्रेरित होकर शासक वर्ग के विरुद्ध कृषक वर्ग द्वारा की गई हिंसा को वामपंथी आतंकवाद कहा जाता है।

➤ वामपंथी विचारधारा विश्वास करती है कि पूंजीवादी समाज में मौजूदा सभी सामाजिक संबंध और राज्य की प्रकृति शोषणात्मक है और हिंसक साधनों के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन अनिवार्य है। भारत और नेपाल में माओवादी गुट इसके उदाहरण हैं।[4]

दक्षिणपंथी आतंकवाद - दक्षिणपंथी समूह आमतौर पर यथास्थिति (Status-Quo) बनाए रखना चाहते हैं अथवा अतीत की उस पूर्व स्थिति को स्थापित करना चाहते हैं जिसमें वे संरक्षित महसूस करते हैं।

➤ कभी-कभी दक्षिणपंथी विचारधाराओं का समर्थन करने वाले समूह नृजातीय/नस्लभेदी चरित्र भी अपना लेते हैं। वे सरकार को किसी क्षेत्र को अधिग्रहीत करने अथवा पड़ोसी देश में "उत्पीड़ित" अल्पसंख्यकों (अर्थात) के अधिकारों का संरक्षण करने के लिये हस्तक्षेप करने हेतु बाध्य कर सकते हैं, जैसे- जर्मनी में नाजी पार्टी।

➤ प्रवासी समुदायों के विरुद्ध हिंसा भी आतंकवादी हिंसा की इस श्रेणी के अधीन आती है, यहाँ उल्लेखनीय है कि दक्षिणपंथी हिंसा के लिये धर्म एक समर्थक भूमिका निभा सकता है। इनके उदाहरण हैं: जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फासीवाद, संयुक्त राज्य अमेरिका में कू क्लक्स क्लान (केकेके) के रूप में श्वेत आधिपत्य आदि।

#### 4. राज्य-प्रायोजित आतंकवाद (State-sponsored Terrorism)

➤ राज्य-प्रायोजित आतंकवाद अथवा छद्म युद्ध (Proxy War) भी सैन्य युद्ध के इतिहास जितना ही पुराना है। बड़े पैमाने पर राज्य-प्रायोजित आतंकवाद 1960 एवं 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरा और आज धार्मिक आतंकवाद के साथ राज्य-प्रायोजित आतंकवाद ने विश्व भर में आतंकवादी गतिविधियों की प्रकृति काफी परिवर्तित कर दी है।

➤ राज्य-प्रायोजित आतंकवाद की एक विशेषता यह है इसे प्रचार माध्यमों का ध्यान आकर्षित करने अथवा संभावित व्यक्तियों को लक्षित करने की बजाए कतिपय स्पष्टतया परिभाषित विदेशी नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रारंभ किया जाता है। इस कारण यह बहुत कम बाधाओं के अधीन कार्य करता है और अत्यधिक नुकसान पहुँचाता है।

➤ संयुक्त राज्य के अधीन पश्चिमी शक्तियों ने संपूर्ण शीत युद्ध में सभी राष्ट्रवादियों और साम्यवाद-विरोधियों का समर्थन किया। सोवियत संघ भी इस प्रयोग में पीछे नहीं रहा। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही पाकिस्तान से इस समस्या का सामना कर रहा है।

#### 5. स्वापक-आतंकवाद (Narco-terrorism)

➤ स्वापक-आतंकवाद ऐसी संकल्पना है जिसे 'आतंकवाद के प्रकार' और 'आतंकवाद के साधन' दोनों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कोलंबिया और पेरू में किया गया था।

➤ प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से संबद्ध आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त किया गया यह शब्द अब विश्व भर और सबसे अधिक मध्य और दक्षिण-पूर्व एशिया में आतंकवादी गुटों और गतिविधियों से संबद्ध हो गया है।[5]

➤ स्वापक-आतंकवाद की परिभाषा कनाडियाई सुरक्षा सेवा द्वारा 'स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापारियों की क्रमबद्ध धमकी अथवा हिंसा द्वारा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के प्रयास' के रूप में दी गई है। हालाँकि स्वापक-आतंकवाद को आतंकवाद के साधन अथवा आतंकवाद के वित्तीयन के साधन के रूप में भी देखा जा सकता है।

- स्वापक-आतंकवाद दो आपराधिक गतिविधियों- मादक पदार्थ का अवैध व्यापार और आतंकवादी हिंसा को संयोजित करता है। स्वापक-आतंकवाद मुख्यतः आर्थिक कारणों द्वारा प्रेरित होता है। क्योंकि यह आतंकवादी संगठनों को अपनी गतिविधियों के लिये न्यूनतम लागत से काफी अधिक राशि जुटाने में सहायता करता है।
- उदाहरण के लिये पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज़ इंटेलेजेंस (ISI) एजेंसी द्वारा समर्थन प्राप्त इस्लामी आतंकवादी गुटों को भारत की कश्मीर घाटी और देश के अन्य भागों में भी मादक पदार्थों के अवैध व्यापार करने में सक्रिय पाया गया है

### आतंकवाद हादसे भारत में (Terrorism Attack India)-

- 2001 में देश के सबसे सुरक्षित इमारत, संसद भवन में दिन दहाड़े आतंकवादी घुस गए थे। पुलिस व सुरक्षाकर्मी के साथ लम्बी मुठभेड़ के बाद आतंकवादियों को मार गिराया गया था। इस दौरान पूरी संसद में दहशत का माहोल था, चारों तरफ अफरा तफरी थी।
- 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन को निशाना बनाया गया था, 11 min के अन्तराल में 7 बम ब्लास्ट किये गए थे, जिससे कई बच्चे, बूढ़े, महिला, नौजवान की जान गई थी।
- 2008 में मुंबई की होटल ताज व ओबेरॉय में आतंकवादी घुस गए थे, और कई दिनों तक वहां पर लोगों को बंदी बना कर रखा था। आतंकवादी अपनी मांग पूरी करवाना चाहते थे। लम्बी मुठभेड़ के बाद 1 आतंकवादी को मार गिराया गया था, तथा दुसरे कसाब को गिरफ्तार कर लिया गया था। कसाब को 2012 में फांसी की सजा हुई थी।
- कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान की लड़ाई अब बड़ा रूप ले चुकी है। 1999 में कारगिल की लड़ाई इसी का रूप थी, पाकिस्तान के तरफ से शुरू हुआ युद्ध को भारत ने अपनी जीत के साथ खत्म किया था। कश्मीर को भारत में आतंकवाद का गढ़ माना जाता है, यहाँ आये दिन कोई न कोई हलचल होती रहती है। धरती का स्वर्ग कश्मीर में आज लोग जाने से डरते है, निर्देशक यहाँ फिल्म की योजना बनाते है, लेकिन दंगों के चलते वे पूरी ही नहीं हो पाती है। यहाँ आम जनता के साथ साथ, हमारे सैनिक भी मारे जाते है।
- भारत में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकवादी हमला हुआ, इस हमले में 37 जवान शहीद हुए और अनेक जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे।
- मई 2007 में हैदराबाद की मक्का मस्जिद में आतंकवादी विस्फोट हुआ, इस विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई थी।[4]
- 13 मई 2008 को जयपुर में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुआ और 68 लोगों की मौत हुई।
- अक्टूबर 2007 अजमेर शरीफ दरगाह में विस्फोट हुआ और दो लोगों की मौत हुई।
- जनवरी 2008 को रामपुर में CRPF के जवानो पर आतंकी हमला हुआ, इस हमले में 8 जवान शहीद हुए।
- भारत में आतंकवाद अटैक की लिस्ट लम्बी ही होती जा रही है, जिहाद के नाम पर नासमझ, छोटी उम्र के बच्चों को

गलत शिक्षा दी जाती है, जिसके चलते वे इंसानियत भूल कर, गलत राह में चल पड़ते है। आजकल बहला फुसलाकर, पैसो के नाम पर नौजवान को मानव बम बना दिया जाता है, ये बहुत ही क्रूर काम है। इसी आतंकवाद के चलते इंदिरा गाँधी व राजीव गाँधी की हत्या की गई थी।

### भारत में आतंकवाद

#### 1. जम्मू-कश्मीर

- जम्मू और कश्मीर में विद्रोह की जड़ों का पता 1940 के दशक के उत्तरार्द्ध से लगाया जा सकता है जब पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर पर कब्जा करने की दृष्टि से भारत पर आक्रमण किया। वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद अलगाववादी गतिविधियों में ठहराव आया था। तथापि, अस्सी के दशक में सीमा-पार से बड़े पैमाने पर घुसपैठ और विद्रोही कार्यकलापों में अचानक वृद्धि देखी गई। निर्दोष व्यक्तियों को लक्ष्य बनाया गया और उन्हें राज्य से भागने के लिये बाध्य किया गया। 1990 के दशक में राज्य में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती हुई।

- इस्लामी रूढ़िवाद के उदय और अल-कायदा के प्रादुर्भाव ने जम्मू और कश्मीर में विद्रोह के कार्यकलापों में एक और आयाम जोड़ा। भारत के दृष्टिकोण से इस्लामी रूढ़िवाद का वास्तविक खतरा अल-कायदा और तालिबान से उत्पन्न नहीं होता बल्कि उनके क्षेत्रीय संबद्ध गुटों से होता है।

- लश्कर-ए-तैयबा नामक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन न केवल भारत में बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया सहित लगभग 18 देशों में इकाईयाँ स्थापित कर चुका है। अल-कायदा के अन्य संबद्ध गुट, जो भारत में शांति और सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा बने हुए हैं- जैश-ए-मोहम्मद, एचयूएम, एचयूजीआई और अल-बदर हैं। जैश-ए-मोहम्मद का घोषित उद्देश्य कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना है। जैश-ए-मोहम्मद के सदस्यों को जम्मू-कश्मीर में कई आत्मघाती आक्रमणों में सम्मिलित माना गया है।

- भारत सरकार राजनीतिक, सुरक्षा, विकासात्मक और प्रशासनिक मोर्चों पर चिंता को ध्यान में रखते हुए संपूर्णतावादी दृष्टिकोण सहित एक बहुआयामी कार्यनीति के माध्यम से अशांत और गड़बड़ी वाले राज्यों की समस्याएँ निपटाने का प्रयास करती रही है।

- संघ सरकार और राज्य सरकार तथा विशेषकर सुरक्षा बलों के प्रयासों ने उग्रवादियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहायता की है। आम चुनाव तथा साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव का सफल संचालन भारतीय प्रजातंत्र में लोगों के विश्वास का सकारात्मक संकेतक है। दूसरा सकारात्मक विकास घाटी में पर्यटकों का बढ़ता हुआ आगमन है।

#### 2. पूर्वोत्तर राज्य

- भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों के भीतर तथा पड़ोसी राज्यों में भी जनजातीय गुटों में संघर्ष और हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। इस भौगोलिक क्षेत्र का बड़ा भाग असम राज्य के सीमा क्षेत्र में था परंतु मानव जातीय-राष्ट्रीयता लेकर हिंसक

प्रदर्शन के स्वतंत्रता-पश्चात की अवधि के दौरान विकास के विभिन्न चरणों में वर्तमान के कुछ राज्यों का गठन हुआ।

- हालाँकि संविधान निर्माताओं ने इन विशेष समस्याओं का ध्यान रखा और स्वायत्तशासी परिषदों और अन्य संवैधानिक उपायों की व्यवस्था की थी, इसके बावजूद भी पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी संघर्ष की जटिल स्थिति बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की विकासात्मक गतिविधियों में बाधा पहुँचने के कारण इस क्षेत्र में आर्थिक प्रगति बहुत कम हुई है।[3]

### 3. पंजाब

- सिख समुदाय द्वारा पृथक पहचान की खोज ने स्वयं को विभाजन के बाद भारत में एक पृथक राज्य की अपनी मांग में प्रदर्शित किया। यहाँ तक कि पृथक पंजाब राज्य के गठन के बाद भी अन्य बातों के साथ-साथ राज्य की राजधानी के रूप में चंडीगढ़ की मांग, नदी जल के बँटवारे आदि से संबंधित कुछ संबद्ध मुद्दों का समाधान नहीं हो पाया। यह स्थिति तब और बिगड़ गई जब आतंकवादी तत्वों ने 'खलिस्तान' के रूप में भारत से संबंध-विच्छेद की मांग की।

- जुलाई 1985 में राजीव गांधी-लॉगोवाल समझौते ने इस अशांति को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया। इसके एक महीने बाद संत लॉगोवाल की हत्या, पंजाब के भाग के रूप में चंडीगढ़ का बँटवारा और नदी जल के बँटवारे जैसे मुद्दों के समाधान में आने वाली रुकावटों के कारण पुनः हिंसा भड़क उठी।

- अंततः निम्नलिखित चार मानकों पर आधारित नीति के अनुपालन से इस विवाद का समाधान किया गया-

- आतंकवाद को रोकने और समाप्त करने के लिये सुरक्षा बलों की कार्रवाई।

- हिंसा छोड़ने और वार्ता के अनुरोध के लिये उग्रवादियों से सम्पर्क बनाए रखना।

- उन असंतुष्ट तत्वों के साथ विचार-विमर्श जो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूर्ण एकीकरण के बदले में हिंसा छोड़ने और संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिये तैयार थे।

- प्रभावित आबादी की धार्मिक, सांस्कृतिक और जातीय भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता

### 4. विचारधारा-उन्मुख आतंकवाद-वामपंथी उग्रवाद (Left-Wing Extremism- LWE)

- वामपंथी उग्रवाद अपनी विचारधारा के अनुसरण के कारण हिंसा का प्रयोग करने के लिये जाना जाता है।

- भारत में इस आंदोलन की शुरुआत पश्चिम बंगाल में उग्रवादियों के एक गुट द्वारा वर्ष 1967 में की गई थी। इस क्षेत्र के किसानों के अतिरिक्त, चाय बागान में कार्यरत श्रमिक बड़ी संख्या में इस उग्रवादी गुट के अनुयायी थे। इस बात से आश्चर्य होकर कि अब जनक्रांति की दशा भारत में परिपक्व है, इस गुट ने अपनी तथाकथित कृषक क्रांति पश्चिम बंगाल में दिनांक 3 मार्च, 1967 से प्रारंभ की। तत्पश्चात इन उग्रवादी गुटों द्वारा सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी, खोरीबाड़ी

और फांसीदेवा पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में खाली पड़ी कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया गया।

- नक्सलबाड़ी क्षेत्र में वामपंथी उग्रवादी आंदोलन के पहले चरण को बिना किसी अधिक रक्तपात के अल्पावधि के भीतर ही प्रभावी रूप से नियंत्रित कर दिया गया था।

- 1980 के दशक के पूर्वार्द्ध के दौरान भारत के विभिन्न भागों में नक्सलियों के कई छोटे गुट पुनः उभरने लगे। आंध्र प्रदेश के नक्सली CPI-ML (पीपुल वार ग्रुप/ जन युद्ध समूह-PWG) के रूप में पुनः संगठित हुए। इसी प्रकार बिहार के नक्सलियों ने पुनः माओवादी साम्यवादी केंद्र (MCC) के रूप में अपना नया नामकरण किया।

PWG (पीपुल वार ग्रुप/ जन युद्ध समूह) की गतिविधियाँ[2]

- आंध्र प्रदेश में PWG दूरस्थ ज़िलों और कुछ अन्य ज़िलों के शहरी क्षेत्रों में भी ग्रामीण आबादी के बड़े भाग को एकजुट करने में सफल रहा। इसके कुछ कार्यक्रम व्यापक जन समर्थन का वातावरण सृजित किया जैसे 'प्रजा न्यायालय' का आयोजन जिसमें भू-स्वामियों, साहूकारों और यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर सुनवाई कर 'त्वरित न्याय' किया जा रहा था।

- PWG की गतिविधियों जैसे भू-स्वामियों, व्यवसायियों और अन्य से निधियों के बलपूर्वक संग्रहण के रूप में PWG दलों ('दलम') की अंधाधुंध तथा अविवेकपूर्ण कार्रवाई से इन क्षेत्रों में ऐसे लोगों का गुट बन गया, जिन्होंने PWG के विरुद्ध दृढ़ कार्रवाई करने के लिये राज्य सरकार पर दबाव डालना प्रारंभ किया।

- पुलिस कार्रवाई ने माओवादी कार्यकर्ताओं में असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर दी, जिसने उन्हें पुलिस के मुखबिर होने के हल्के संदेह पर ही ग्रामीणों की क्रूर हत्याएँ और यातना का आश्रय लेने के लिये प्रेरित किया। इससे स्थानीय ग्रामीणों के बीच और अलगाव उत्पन्न हुआ, जब उन्होंने देखा कि वे, जो उनके मुक्तिदाता होने का दावा करते थे, अपने आचरण में इतना क्रूर तथा अविवेकपूर्ण हो सकते हैं।

- जब आंध्र प्रदेश सरकार ने विशेष रूप से प्रशिक्षित 'ग्रेहाउन्ड्स (Grehounds)' नामक पुलिस यूनिट के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुलिस कार्रवाई प्रारंभ की तब उन गाँवों, विशेषकर नल्लामाला वन क्षेत्र और उसके समीपस्थ क्षेत्र में, जिन्हें पहले उनका सुदृढ़ आधार क्षेत्र माना जाता था, को पुनः प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगा।

- इसने आंध्र के माओवादियों को इन क्षेत्रों को खाली करने और छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र के समीपस्थ स्थानों तथा उड़ीसा के समीपस्थ ज़िलों में तितर-बितर होने के लिये बाध्य कर दिया।

- इस बीच माओवादियों ने बारूदी सुरंगों और IED (Improvised Explosive Device) के प्रयोग में कुछ विशेषज्ञता विकसित कर ली, जिससे छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक संख्या में कार्यरत पुलिस बलों तथा सुरक्षाकर्मी हताहत हुए। छत्तीसगढ़ में एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि सलवा जुडुम के रूप में विदित जनजातीय लोगों में से प्रतिरोधी गुटों का निर्माण रहा है।

## MCC की गतिविधियाँ

- माओवादी साम्यवादी केंद्र (MCC) नामक नक्सली संगठन ने पाया कि उनके सबसे बड़े विरोधी या शत्रु जितना प्रशासन अथवा पुलिस नहीं थी, उनसे अधिक भू-स्वामी वर्ग के सशस्त्र दल जैसे रणबीर सेना, भूमिहार सेना आदि थी। दलितों की कुछ सामूहिक हत्याओं ने बिहार में MCC को बढ़ावा दिया और इससे MCC कार्यकर्ताओं द्वारा बदले की भावना से कई हत्याएँ और भूस्वामियों की सेना द्वारा प्रतिरोधात्मक हत्याएँ हुईं।
- दूसरे शब्दों में, माओवादी वर्ग संघर्ष की विशिष्टता प्राप्त करने की बजाए इन मुठभेड़ों ने जातीय युद्ध का आकार ले लिया। भूतपूर्व बिहार के जनजाति बहुल जिलों से झारखंड का सृजन होने से, माओवादी स्वाभाविक रूप से शोषित जनजाति एवं निर्धनों के मित्र के रूप में उभरे। मंत्रियों, विधायकों, सांसदों तथा राजनीतिक नेताओं को भी माओवादी हिंसा का लक्ष्य बनाया गया।
- वर्ष 2004 में नक्सलियों ने MCC और PWG के विलय से CPI (माओवादी) के गठन से अपनी प्रक्रिया अधिकांशतः पूरी कर ली। माना जाता है कि इस समय माओवादियों की पहुँच रॉकेट और रॉकेट लांचरों के निर्माण की प्रौद्योगिकी तक हो गई है। उन्नत विस्फोटक उपकरण (IED) निर्मित करने और उन्हें विस्फोटित करने की विशेषता विकसित करने के कारण माओवादी अधिक खतरनाक हो गए।[1]
- 5. धार्मिक रूढ़िवाद पर आधारित आतंकवाद
  - भारत में कई आतंकवादी घटनाएँ हुई हैं जो धार्मिक रूढ़िवाद द्वारा प्रेरित थीं। इन कार्यकलापों में से कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण थी- जैसे जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी तत्व। इन घटनाओं में से कुछ की सहायता और अवप्रेरणा उन बाहरी शक्तियों द्वारा की गई थी जो भारत की विरोधी थी। यहाँ तक कि ISI ने वर्ष 1991 में पंजाब के खलिस्तानी आतंकवाद और जम्मू-कश्मीर (वर्तमान में विभाजित राज्य) के आतंकवादी गुटों के बीच सहयोग निर्मित करने के लिये एक पहल की थी।
  - जनवरी 1994 में हरकत मुजाहिदीन के कार्यकर्ताओं और हरकत-उल-ज़िहाद, जिसके मूल संगठन का विलय हरकत-अल-अंसार में हो गया था, का मेल कराने के कार्य हेतु मोहम्मद मसूद अज़हर अल्वी का भारत में आगमन हुआ। उसके संगठन का मुख्य उद्देश्य भारतीय शासन से कश्मीर को स्वतंत्र कराना और कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करना था। पाकिस्तानी आसूचना द्वारा इस्लामिक आतंकवाद में अगली पहल जम्मू और कश्मीर इस्लामी मोर्चे (JKIF) की स्थापना थी।
  - वर्ष 2001 में नई दिल्ली में कई इस्लामी आतंकवादी आक्रमण हुए, जिनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिसंबर 2001 में संसद भवन पर हुआ हमला था। वर्ष 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हमला, वर्ष 2005 में अयोध्या में हमला, वर्ष 2006 में मुंबई में लगातार बम विस्फोट आदि इस्लामी आतंकवादियों की मुख्य कार्रवाइयाँ थीं।
  - भारत में इस्लामी उग्रवाद के संवर्द्धन में भारतीय विद्यार्थी इस्लामी आंदोलन (सिमी) द्वारा निर्भाई गई भूमिका पर गौर

करना महत्वपूर्ण है। विभिन्न इस्लामी चैरिटी संस्थाओं विशेषतः रियाद स्थित वर्ल्ड एसेम्बली ऑफ मुस्लिम यूथ द्वारा वित्तपोषित 'सिमी' ने अपनी गतिविधियाँ भारत के विभिन्न राज्यों में फैलाई। सितंबर 2001 में भारत सरकार द्वारा गैर-कानूनी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत सिमी को प्रतिबंधित कर दिया गया।

## परिणाम

### आतंकवाद के साधन

#### परंपरागत साधन

- लोगों को बंधक बनाना और हाइजैकिंग।
- भवनों, विशेषकर सरकारी/जनता भवनों का बलपूर्वक अधिग्रहण करना।
- हथियारों, बम, आईईडी, हथगोलों, बारुदी सुरंगों का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों और संपत्ति पर आक्रमण करना।
- वर्तमान में आत्मघाती हमलों और अपहरणों करने का आश्रय लेने में वृद्धि हो रही है।

#### गैर-परंपरागत साधन

- आतंकवादियों द्वारा जनसंहार के हथियार के रूप में न्यूक्लियर, रासायनिक अथवा जैविक हथियार प्राप्त करना साथ ही साइबर आतंकवाद और पर्यावरणीय आतंकवाद जैसे गंभीर खतरे भी हैं।

#### पर्यावरणीय आतंकवाद (Environmental Terrorism)

- जहाँ पारिस्थितिकीय-आतंकवाद (Eco-terrorism) प्राकृतिक वातावरण के विनाश के विरुद्ध प्रतिरोध है, वहीं पर्यावरणीय आतंकवाद प्राकृतिक जगत की जान-बूझकर की गई क्षति है।

उदाहरण के लिये वर्ष 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान सद्दाम हुसैन ने 1000 से अधिक तेल के कुओं को विस्फोट से उड़ाने का आदेश देकर कुवैत को धुँसे भर दिया।[2]

#### जनसंहार के हथियार

#### (Weapons of Mass Destruction- WMD)

जनसंहार के हथियार वे होते हैं, जो संपूर्ण विनाश तथा लोगों, अवसंरचनाओं अथवा अन्य संसाधनों को बड़े पैमाने पर नष्ट करने की क्षमता रखते हैं के लिये प्रयोग किये जाने योग्य होते हैं। उदाहरण- न्यूक्लियर, रासायनिक और जैविक हथियार आदि।

1. रासायनिक हथियार: वर्ष 1993 में हस्ताक्षरित रासायनिक हथियार समझौते के अनुसार, उत्पत्ति पर ध्यान दिये बिना कोई भी विषैला रसायन रासायनिक हथियार माना जाता है अगर इसका प्रयोग निषिद्ध प्रयोजनों के लिये किया जाता है। उदाहरण: रिसीव, बोटुलिनम, टॉक्सिन, तंत्रिका एजेंट, लेवीसाइट, सेरिन आदि जैसे टॉक्सिक रसायन इसके उदाहरण हैं।
2. न्यूक्लियर हथियार: न्यूक्लियर हथियारों के निर्माण के लिये सरलता से यूरेनियम उपलब्ध न होना इसके संवर्द्धन की जटिल प्रक्रिया तथा अत्यधिक लागत आतंकवादी संगठनों और गैर-राज्य अभिकर्ताओं के समक्ष मुख्य समस्या है। द्वारा आतंकवादी हमलों में न्यूक्लियर हथियारों के प्रयोग का कोई लेखा-जोखा नहीं है। लेकिन इस बात के संकेत मिले हैं

कि 1990 के उत्तरार्द्ध से अल-कायदा इन्हें प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है।

3. जैविक हथियार: जैव-आतंकवाद अपेक्षतया आतंकवाद का एक नया रूप है, जो जैव-प्रौद्योगिकी की उन्नति के चलते इसकी आतंकवादी गुटों तक पहुँच के परिणामस्वरूप उभरा है। जैव-आतंकवाद को 'मानव, पशुओं अथवा पौधों में बीमारी अथवा मृत्यु कराने प्रयुक्त वायरसों, जीवाणुओं अथवा अन्य कीटाणु (एजेंटों) का जान-बूझकर निर्गमन' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्हें वायु, जल अथवा खाद्य पदार्थों के माध्यम से फैलाया जाता है।

साइबर-आतंकवाद (Cyber-terrorism)

- साइबर-आतंकवाद, आतंकवाद और साइबरस्पेस का संयोजन है।
- इसे मुख्यतः राजनीतिक अथवा सामाजिक हितों की पूर्ति के लिये अथवा सरकार या लोगों को भयभीत अथवा पीड़ित करने के आशय से कंप्यूटरों, नेटवर्क और उसमें संग्रहित सूचना के विरुद्ध गैर-कानूनी आक्रमण और आक्रमण की धमकी के अर्थ में समझा जा सकता है।
- साइबर-आतंकवाद सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में उन्नति के कारण विकसित आतंकवादी कार्यनीति का सर्वाधिक उन्नत साधन है, जो आतंकवादियों को न्यूनतम शारीरिक जोखिम के अपना कार्य करने में समर्थ बनाता है।

आत्मघाती आतंकवाद (Suicide Terrorism)

आत्मघाती आतंकवाद उभरती हुई आतंकवादी रणनीति का सर्वाधिक अनिष्टकारी पहलू है। जेहादी आतंकवादियों ने 1990 के दशक में आत्मघाती आतंकवाद को अपनाया। जम्मू-कश्मीर के भीतर सर्वाधिक रूप से पुलिस और रक्षा बलों के परिसरों पर कई फियादीन आक्रमण हुए।[3]

आतंकवाद की समस्या का निदान (Solution of Terrorism Problem)–

- धर्म को सही ढंग से समझना होगा। मानवजाति धर्म, जातिवाद के भंवर में इस कदर फंस गई है, कि धर्म के उपर इंसानियत के बारे में सोचती ही नहीं है। धर्म हमारी सुविधा के लिए है, धर्म अच्छी शिक्षा, ज्ञान की बातें इंसानियत सिखाता। हमें धर्म, जाति के उपर इंसानियत को रखना चाहिए। दुनिया में प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है, कहते हैं 'भगवान् प्यार है, प्यार ही भगवान् है'। गॉड ने हमें अपने आस पास अपने पड़ोसी से प्यार करने की शिक्षा दी है, वो हमें कहता है "दूसरों की गलती माफ़ करो जैसे मैं करता हूँ"। अगर हम भगवान की बात का सही मतलब समझेंगे, तो देश दुनिया से आतंकवाद जैसी कुरीथियां निकल जाएगी और चारों तरफ प्यार होगा।
- आतंकवाद को दूर करने के लिए अच्छी शिक्षा की बहुत जरूरत है। अनुकूल शिक्षा मिलने पर इन्सान की सोच बदलेगी, उसकी सोचने समझने की शक्ति में बदलाव आएगा और वो सही दिशा में ही सोचेगा। शिक्षित व्यक्ति अपना अच्छा बुरा जानता है, उसको गलत शिक्षा देकर बहलाया नहीं जा सकता।

आतंकवाद से निपटने के लिए देश दुनिया को मिल कर काम करना होगा, और इसलिए हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस समस्या से लड़ने के लिए एक अकेला देश कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये विश्व व्यापी समस्या है।

**निष्कर्ष**

**उभरते हुए खतरे**

- कई आतंकवादी संगठनों में एक-दूसरे के साथ सहयोग करने तथा आवश्यक रूप से वैचारिक बंधनों की भागीदारी किये बिना शस्त्रों की आपूर्ति, संभार तंत्र और यहाँ तक कि प्रचालनात्मक समर्थन के रूप में संपर्क निर्मित करने का सामर्थ्य है। ऐसे नेटवर्क अपने विनाशात्मक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये संगठित आपराधिक संगठनों से भी समर्थन प्राप्त करने में सक्षम हैं।
  - 21वीं सदी में आतंकवाद ने नवीन और अधिक घातक आयाम प्राप्त कर लिया है। उन सामग्रियों और प्रौद्योगिकी जिनमें पूर्व की तुलना में बहुत अधिक विनाशक क्षमता है, तक पहुँच ने भी आतंकवाद द्वारा उत्पन्न खतरे की प्रकृति को बढ़ा दिया है।[4]
  - एक बहुसांस्कृतिक विश्व में प्रवासियों की बड़ी आबादी और आवागमन के विविध मार्गों वाली सीमाओं का अर्थ है कि प्रायः इंटरनेट का प्रयोग करते हुए आतंकवादी विचारधारा के प्रचार के माध्यम से उत्पन्न स्लीपर सेल लोकतांत्रिक देशों के राष्ट्रीय ढाँचे को खतरा पहुँचाते हुए पाँचवा कॉलम बन सकते हैं।
  - किसी देश में शत्रु देश के समर्थकों या उनसे गुप्त सहानुभूति रखने वाले लोगों का ऐसा समूह जो जासूसी या विध्वंसात्मक गतिविधियों में शामिल हो, उन्हें पाँचवा कॉलम (Fifth column) कहते हैं।
  - राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार धनराशियों के तीव्रतर आवागमन के साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं, बैंकिंग और वित्तीय प्रणालियों का एकीकरण भी विश्व भर में आतंकवादी गतिविधियों का वित्तीयन सरल बनाता है।
- आतंकवाद का सामना करने की कार्यनीति**
- एक बहुआयामी दृष्टिकोण
  - भारत में आतंकवाद से लड़ने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यनीति के समग्र परिप्रेक्ष्य में एक कार्यनीति, तैयार करने की आवश्यकता है। आतंकवाद के जोखिम से निपटने के लिये एक बहु-आयामी दृष्टिकोण आवश्यक है।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ, देश में प्रत्येक नागरिक के जान और माल तथा साथ ही राष्ट्र के संसाधनों की सुरक्षा है। राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यनीति का उद्देश्य एक सुरक्षा वातावरण का सृजन करना है, जो राष्ट्र के लिये सभी व्यक्तियों को अपनी पूर्णतम क्षमता विकसित करने के अवसर प्रदान करने में समर्थ बनाए। राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यनीति पर अधिकांश चर्चाएँ इस बात पर आधारित रही हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सभी के जान-माल का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए प्राप्त की जा सकती है।
  - यहाँ स्पष्टतः समझ लेना आवश्यक है कि सामाजिक-आर्थिक विकास और एक सुरक्षित वातावरण प्रदान कराने

की प्रक्रिया को साथ-साथ संचालित करना होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कोई खतरा जो इस प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा माना जाना चाहिये। ऐसे खतरें युद्ध, आतंकवाद, संगठित अपराध, ऊर्जा की कमी, जल और भोजन की कमी, आंतरिक विवाद, प्राकृतिक अथवा मानव-निर्मित आपदाओं आदि से उत्पन्न हो सकते हैं।

- इस परिप्रेक्ष्य में सामाजिक-आर्थिक विकास एक प्राथमिकता है ताकि समाज के असुरक्षित वर्ग आतंकवादियों के धन और समानता के प्रलोभन का शिकार नहीं हो जाएं तथा प्रशासन, विशेषकर सेवा सुपुर्दगी कार्यतंत्र को लोगों की सही एवं दीर्घकालीन शिकायतों के प्रति उत्तरदायी होना आवश्यक है।
- इसे सुनिश्चित करने के लिये, कानून प्रवर्तन एजेंसियों का उपयुक्त कानूनी ढाँचे, पर्याप्त प्रशिक्षण अवसंरचना, उपकरण और आसूचना से समर्थन किया जाना चाहिये। जिसमें विभिन्न हितधारकों- सरकार, राजनीतिक पार्टियों, सुरक्षा एजेंसियों, नागरिक समाज और प्रचार माध्यम को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
- ऐसी कार्यनीति के आवश्यक तत्वों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है-
  - राजनीतिक सर्वसम्मति।
  - अच्छा अधिशासन और सामाजिक-आर्थिक विकास।
  - कानून के शासन प्रति सम्मान।
  - आतंकवादियों की विनाशक गतिविधियों का प्रतिरोध करना।
  - उपयुक्त कानूनी ढाँचा प्रदान करना।
  - क्षमता निर्माण।

### कानूनी ढाँचा

- भारत में आतंकवाद से निपटने के लिये कई अधिनियम थे जैसे-
  - आतंकवादी और विघटनकारी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (वर्ष 1995 में व्यपगत)
  - आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (वर्ष 2004 में निरसित)
  - गैर-कानूनी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (2004 में संशोधित)
  - राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980।
  - हालाँकि कुछ विधानों को निरसित कर दिया गया क्योंकि यह माना गया था कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपी गई शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना है और वास्तव में ऐसा हुआ था।
  - विधि आयोग ने अपनी 173वीं रिपोर्ट (वर्ष 2000) में इस मुद्दे की जाँच की ओर आतंकवादियों से दृढ़तापूर्वक और प्रभावी रूप से निपटने के लिये एक कानून की आवश्यकता का

विशेष उल्लेख किया। भारत में अपनाए गए विधायी उपायों की संक्षिप्त चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

### राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 संघ सरकार अथवा राज्य सरकारों को भारत की सुरक्षा हेतु खतरा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने का प्रावधान करता है।
- यह अधिनियम सलाहकार बोर्डों का भी गठन करता है, जिससे इस प्रकार के अधिनियम से हवालात में रखे जाने को अनुमोदित किया जा सके।
- आतंकवादी और विघटनकारी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 और 1987
- देश के कुछ भागों में आतंकवादी कार्यकलापों की वृद्धि होने की पृष्ठभूमि में मई, 1985 में आतंकवादी और विघटनकारी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 अधिनियमित किया गया था।
- उस समय यह आशा की गई थी कि दो वर्षों की अवधि के भीतर इस संकट को नियंत्रित कर लिया जाएगा। तथापि, बाद में यह महसूस किया गया कि कई कारकों के कारण प्रारंभ की छिटपुट घटनाएँ एक निरंतर किस्म के संकट बन गए थे। इसलिये न केवल उक्त कानून को बनाए रखना बल्कि इसे और सुदृढ़ करना भी आवश्यक हो गया। इसलिये सरकार ने आतंकवादी और विघटनकारी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (टाडा) अधिनियमित किया जिसने उस कार्यतंत्र को सुदृढ़ किया, जो 1985 के टाडा द्वारा निर्मित किया गया था।
- टाडा अधिनियम 1987 की वैधता वर्ष 1989, 1991 और 1993 में बढ़ाई गई थी। लेकिन इसके दुरुपयोग के बारे में कई शिकायतें मिलने के बाद इसे वर्ष 1995 में व्यपगत करने की अनुमति दी गई। भारत में वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या आईसी-814 का कांधार में अपहरण, दिसंबर, 2001 को संसद पर हमले सहित कई आतंकवादी घटनाएँ हुईं। इसके फलस्वरूप आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 पारित किया गया।

### आतंकवाद का निवारण अधिनियम, 2002

आतंकवाद का निवारण अधिनियम, 2002 (पोटा) की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं-

- 'आतंकवादी कार्य' की परिभाषा (Definition of Terrorist Act) □
- गिरफ्तार करने के उपबंध (Arrest Provision) □
- आतंकवाद की आय की ज़ब्ती (Seizure & For feiture of proceeds of Terrorism) □
- संचार का अवरोधन (Interception of Terrorism) □
- आग्नेयास्त्रों का अनधिकृत कब्जा रखना (Unauthorised Possession of Fire Arms) □
- जाँचकर्ता अधिकारियों को वर्द्धित शक्तियाँ (Enhanced Power to Investigating Officers) □

- पुलिस अभिरक्षा की वृद्धित अवधि (Increased Period of Police Custody)□
- विशेष न्यायालयों का गठन (Censitution of Special Courts)□
- आतंकवादी संगठनों से निपटने पर अध्याय (Chapter on dealing with Terrorist Organizations)□
- समीक्षा समिति का गठन (Constitution of Review Committee)□
- 'पोटा' के प्रावधानों का कुछ राज्य सरकारों द्वारा दुरुपयोग करने तथा अपने अभिप्रेत प्रयोजन को पूरा करने में विफल रहने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इसको निरसित कर दिया।
- पोटा के निरसन के बाद आतंकवाद से निपटने के लिये कुछ उपबंध गैर-कानूनी कार्यकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2004 द्वारा यथा संशोधित गैर-कानूनी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में सम्मिलित किये गए।

### गैर-कानूनी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967

- यह कानून व्यक्तियों और संगठनों के कतिपय गैर-कानूनी कार्यकलापों और उससे संबंधित मामलों के अधिक प्रभावी निवारण की व्यवस्था करने के लिये अधिनियमित किया गया था। इसने किसी भी संगठन को 'गैर-कानूनी' घोषित करने के लिये उपयुक्त प्राधिकारियों को अधिकार दिया अगर वह गैर-कानूनी कार्यकलाप कर रहे हैं।
- पोटा के समान यह भी 'आतंकवादी कार्य'की परिभाषा देता है और अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन के रूप में 'आतंकवादी संगठन' अथवा इस प्रकार सूचीबद्ध संगठन के समान नाम के अधीन कार्यरत संगठन की भी परिभाषा देता है। यह आतंकवाद संबद्ध अपराधों के लिये सख्त सजा प्रदान करने के अतिरिक्त आतंकवाद की आय की जब्ती का कार्यतंत्र प्रदान करता है।
- यह विशेष न्यायालयों अथवा जाँच करने की वृद्धित शक्तियों और पुलिस अधिकारियों के समक्ष किये गए स्वीकरण से संबंधित उपबंधों की व्यवस्था नहीं करता।

### व्यापक आतंकवाद-रोधी विधान की आवश्यकता

- भारतीय विधि आयोग ने आतंकवाद का निवारण विधेयक, 2000 पर अपनी 173वीं रिपोर्ट में आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिये एक पृथक विधान की सिफारिश की थी।

- इस कानून में आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा, ऐसे कार्यों के लिये कठोर सजा, कतिपय अनधिकृत शस्त्र रखने, आतंकवाद की आय प्रदर्शित करने वाली संपत्ति की ज़ब्ती और कुर्की से संबंधित जाँचकर्ता अधिकारियों को विशेष शक्तियाँ, विशेष न्यायालयों के गठन, गवाहों के संरक्षण, पुलिस अधिकारियों के समक्ष किये गए स्वीकरण पर विचार किए जाने, वृद्धित पुलिस अभिरक्षा, समीक्षा समितियों के गठन, सद्भावना से की गई कार्रवाई के संरक्षण आदि जैसे उपबंध शामिल थे।
- आयोग का विचार है कि आतंकवाद पर एक अध्याय को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 का भाग बनाया जाना चाहिये।
- गैर-कानूनी कार्यकलाप निवारण अधिनियम प्राथमिक रूप से व्यक्तियों तथा संघों के कतिपय गैर-कानूनी कार्यकलापों और संबंधित मामलों को प्रभावी रूप से रोकने से संबंधित है जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम उन कार्यकलापों, जो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अखंडता के लिये हानिकारक हैं, से संबंधित हैं और इसमें हवालात में निवारक रूप से रखने के उपबंध भी होते हैं, जिन्हें सामान्य कानूनों में स्थान नहीं प्राप्त होता है।
- आतंकवाद मात्र एक गैर-कानूनी कार्यकलाप की अपेक्षा बहुत अधिक अनिष्ट-सूचक है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिये गंभीर खतरा है। इसलिये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आतंकवाद से निपटने के लिये उपबंध सम्मिलित करने हेतु अधिक संगत है।[5]

### संदर्भ

- [1] "इंडिया एस्सेसमेंट - 2007". मूल से 16 अगस्त 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 दिसंबर 2009.
- [2] "संग्रहीत प्रति". मूल से 9 अगस्त 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 दिसंबर 2009.
- [3] 'बिग थ्री' होल्ड की दिल्ली टोक्स Archived 2008-02-13 at the Wayback Machine BBC न्यूज़
- [4] न्यु केरला में भारत, चीन, रूस के विदेशमंत्री सामरिक गठबंधन को बढ़ाने के लिए मिलते हैं Archived 2007-01-24 at the Wayback Machine
- [5] "Indian Police Arrest Islamic Cleric for Blasts". Reuters. 05/04/2006. मूल से 28 मई 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 अक्टूबर 2009. |date= में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)